राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

-:: निर्णय ::-

चान्दमल : बनाम : कन्हैयालाल

एकल पीठ सिविल प्रथम अपील संख्या: **72/1996**

अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रक्रिया संहिता

* * * * *

निर्णय दिनांक : 5 जनवरी, 2006

-: उपस्थित :-

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्णकुमार आचार्य

अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री बुधमल भोजक,
रेस्पोंडेण्ट के अधिवक्ता श्री रामेश्वर चौहान।

यह अपील अपर जिला न्यायाधीश, प्रतापगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.3.1996 की नाराजगी में प्रतिवादी अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर एडमिट की गई और रेस्पोंडेण्ट को नोटिस जारी किया गया व अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया।

तथ्य वाद-पत्र के संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रतिवादी चान्दमल को रूपयों की आवश्यकता होने पर 1.2.1985 को वादी ने 12,000/- उधार दिए और उसकी अदायगी प्रतिवादी ने 31.3.1985 को करने का इकरार किया और उसी दिनांक का एक चेक प्रतिवादी ने वादी के नाम का अपने दस्तखत करके वादी को सुपुर्द किया। कोलेटरल सिक्यूरिटी के रूप में उसी दिन

1.2.1985 को एक प्रोमेसरी नोट एवं रसीद भी प्रतिवादी ने वादी के हक में तहरीर व तकमील की। डेढ रूपया सैकडा प्रतिमाह ब्याज अदा करने का भी इकरार किया। प्रतिवादी को और रूपयों की आवश्यकता होने पर 16.5.1985 को तीस हजार रूपए और एक समय रूपया 22,500/- और वादी ने प्रतिवादी को उधार दिए। यह राशि दिनांक 30.6.1985 को अदा करने का इकरार किया और तीस हजार रूपए का चेक 30.6.1985 का व एक चेक रू.22,500/- का 30.6.1985 का वादी के नाम प्रतिवादी ने दस्तखत कर वादी को सुपुर्द किया और 16.5.1985 को इन्हीं धनराशियों की बतौर कोलेटरल सिक्यूरिटी के दो प्रोमेसरी नोट व रसीदें वादी के हक में तहरीर व तकमील किए व इस राशि पर डेढ रूपया सैकडा प्रतिमाह से ब्याज भी अदा करने का इकरार किया। उपरोक्त चेक को बैंक ऑफ राजस्थान में प्रस्तुत किया गया, मगर Exceeds Arrangement लिखकर चेक बगैर भुगतान लौटा दिया गया। वादी द्वारा 12.9.1985 को प्रतिवादी को रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया कि कोई रकम की अदायगी नहीं की है। इस प्रकार कुल राशि 97.057/- का दावा प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया और डिक्री चाही।

प्रतिवादी ने अपने जवाबदावे में कोई भी रकम लेने से, प्रोमेसरी नोट या रसीद देने या चेक देने से इनकारी की और वाद-पत्र में लिखे तथ्यों से इनकारी की है। प्रोमेसरी नोट, चेक व रसीद फोर्ज है, स्टाम्प पूरे नहीं है और ये साक्ष्य में नहीं पढ़े जा सकते, जो लौटाए जाने चाहिए और दावा खारिज करने की इस्तदुआ की।

उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने निम्नलिखित तनकियात कायम की गई :

"1. आया प्रतिवादी ने वादी से दिनांक 1.2.85 को 12,000/- रूपये नकद उधार लिये व 31.3.85 को अदा करने का इकरार कर किया तथा प्रनोट व रसीद निष्पादित की व रकम पर 1-1/2 रूपये सैकडा प्रतिमाह ब्याज देना तय किया।
2. आया प्रतिवादी ने वादी से दिनांक 16.5.85 को एक बार 30,000/- रूपये व एक बार 22,500/- प्राप्त किये व 30.6.85 को अदा करने हेतु प्रत्येक राशि का चेक वादी को दिया व उसी रोज दोनों राशियों के प्रनोट व रसीदें वादी के हक में निष्पादित की।
3. आया प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत चेक बैंक से नहीं सिकरे।
4. आया वादी प्रतिवादी से 12,000/- रूपये की रकम पर 6570/- रूपये चढे ब्याज के प्राप्त करने का अधिकारी है।
5. आया वादी प्रतिवादी से 52,500/- की राशि पर 25,987.50 प्राप्त करने का अधिकारी है।
6. आया दावा मियाद बहार पेश हुआ है।
7. अनुतोष।"

वादी की ओर से अपनी साक्ष्य में पी.ड 1 कन्हैयालाल के बयान कराए और प्रदर्श 1 से लगायत प्रदर्श 20 दस्तावेज भी प्रदर्शित कराए। प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद वादी के विरूद्ध यह वाद 97,057/- का मय डेढ रूपया प्रति सैकडा प्रतिमाह की दर से दावा डिक्री किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई।

इस अपील में दोनों पक्षों की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया व विचार किया।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का प्रथम तर्क यह रहा कि प्रदर्श 2 प्रोमेसरी नोट साक्ष्य में ग्राह्य नहीं था, इसमें रूपयों की अदायगी पेटे चेक नम्बर 622373, दिनांक 31.3.1985 का दिया जाना अंकित है, जो बोण्ड की परिभाषा में आता है और प्रदर्श-2 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने

डिक्री पारित करने में कानूनी गलती की है क्योंकि यह दस्तावेज साक्ष्य में अग्राह्य था और इसे गलत रूप से साक्ष्य में ग्राह्य किया गया है। यह रकम 12,000/- की प्रोमेसरी नोट की है जिसमें उपरोक्त शर्त, रूपयों की अदायगी पेटे चेक दिया जाना भी लिखा गया है। जहां तक स्टाम्प का प्रश्न है, उन पर अवश्य रेवेन्यू स्टाम्प लगे हुए हैं, मगर ये स्टाम्प कैंसिल भी नहीं किए हुए हैं। इस प्रकार प्रोमेसरी नोट कानून अनुसार स्टाम्प पर नहीं होने से साक्ष्य में ग्राह्य नहीं था, जिसे गलत रूप से साक्ष्य में ग्राह्य किया गया है। इस सम्बन्ध में योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट ने आर एल डब्ल्यू 1958 पेज 375 (रामदेव बनाम गुलाबचन्द) विनिश्चय पेश किया।

इसके विपरीत योग्य अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट का तर्क रहा कि दस्तावेज एक बार साक्ष्य में प्रदर्शित किया जा चुका है और साक्ष्य में ग्राह्य हो चुका है, अत: यह एतराज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित होते समय लिया जाना चाहिए था, अब अपील स्टेज पर यह एतराज नहीं लिया जा सकता। इस सम्बन्ध में उन्होंने ए.आई.आर. 1961 सुप्रीम कोर्ट 1655 (जवेर चन्द वगै. बनाम पुखराज सुराणा), ए आई आर 1956 सुप्रीम कोर्ट 12 (वी.ई.ए.एन्नामलई चेट्टियार वगै. बनाम एस.वी.वी.एस.वीरप्पा चेट्टियार वगै.) पर आए विनिश्चय पेश किए।

उक्त बिन्दु पर मेरे द्वारा विचार किया गया। यह सही है कि प्रोमेसरी नोट प्रदर्श-2 में रूपयों की अदायगी के सम्बन्ध में चेक नम्बर 622373, दिनांक 31.3.1985 का दिया गया "सी" से "डी" शर्त दर्ज है, जो प्रोमेसरी नोट में इस प्रकार की शर्त नहीं होनी चाहिए थी। इस न्यायालय का विनिश्चय रामदेव बनाम गुलाबचन्द (उपरोक्त) वाले प्रकरण में दस्तावेज जो विवादित

था, उसमें साख की हुई थी। रू.4500/- बकाया रहे थे और मिगसर सुदी पूनम संवत् 2007 तक मय ब्याज आठ आना प्रति सैकडा प्रतिमाह की दर से देने की शर्त अंकित थी। न्यायालय ने माना कि यह प्रोमेसरी नोट की परिभाषा में नहीं आता क्योंकि इसमें साख दी हुई है और बिना शर्त परिवचन (Unconditional undertaking) भुगतान के सम्बन्ध में नहीं है और उन परिस्थितियों में उसे धारा 2(5) स्टाम्प एक्ट के तहत बोण्ड माना गया। इस प्रकार प्रदर्श-2 का जहां तक प्रश्न है, इसमें शर्त लिखी हुई है, जो प्रोमेसरी नोट की परिभाषा में नहीं आता और ऐसी शर्त प्रोमेसरी नोट को साक्ष्य में अग्राह्य अवश्य करती है। मगर प्रदर्श-7 व 12 में इस प्रकार की कोई शर्त नहीं है और न ही यह तस्दीकशुदा है। यह प्रोमेसरी नोट की स्पष्ट तारीफ में आता है। मगर प्रदर्श-2 को साक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राह्य किया है और इसे प्रदर्शित भी कर लिया है, इन परिस्थितियों को देखते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय, जो योग्य अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, में स्पष्ट सिद्धान्त दिया गया है कि यदि एक बार दस्तावेज साक्ष्य में प्रदर्शित कर दिया जाता है तो उस सम्बन्ध में अपील स्टेज या उसी न्यायलय में भी ऐसा एतराज नहीं उठाया जा सकता है कि यह साक्ष्य में ग्राह्य नहीं था। वी.ई.ए.एन्नामलई चेट्टियार वगै. बनाम एस.वी.वी.एस.वीरप्पा चेट्टियार वगै. (उपरोक्त) विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा पैरा 10 में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :

> "Where a document has been admitted in evidence by lower Courts such admission cannot be called in question at any stage of the proceedings on the ground that it has not been duly stamped. The provisions of S.36, Stamp Act preclude the appellant from raising any objection against the admission of the document at appellate stage."

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के अन्य विनिश्चय जवेर चन्द वगै. बनाम पुखराज सुराणा (उपरोक्त) वाले प्रकरण में भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पैरा 4 में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:

> "Where a question as to the admissibility of a document is raised on the ground that it has not been stamped or has not been properly stamped, the party challenging the admissibility of the document has to be alert to see that the document is not admitted in evidence by the Court. The Court has to judicially determine the matter as soon as the document is tendered in evidence and before it is marked as an exhibit in the case. Once a document has been marked as an exhibit in the case and has been used by the parties in examination and cross-examination of their witnesses, S.36 comes into operation. Once a document has been admitted in evidence, as aforesaid, it is not open either to the Trial Court itself or to a Court of Appeal or Revision to go behind that order. Such an order is not one of those judicial orders which are liable to be reviewed or revised by the same court or a court of superior jurisdiction. "

माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त विनिश्चयों को देखते हुए, जब दस्तावेज एक बार प्रदर्शित किया जा चुका है और साक्ष्य में पढ़ा जा चुका है, धारा 36 स्टाम्प एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त विनिश्चयों को देखते हुए, मैं योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट के उक्त तर्को से सहमत नहीं हूं। जब दस्तावेज एक बार साक्ष्य में ग्राह्य किया जा चुका है, उस सम्बन्ध में अपील स्टेज पर एतराज लेने का अधिकार पक्षकार को नहीं रहता।

इस प्रकरण में गुणावगुण पर भी विचार करे तो वास्तव में यह वाद प्रोमेसरी नोट पर आधारित ही नहीं है। वाद के अवलोकन से स्पष्ट है कि 1.2.1985 को प्रतिवादी को 12,000/- नकद उधार दिये थे और प्रतिवादी ने 31.3.1985 को अदा करने का इकरार भी किया था, जिसका चेक प्रतिवादी ने

वादी के नाम का इसी रोज दिया और 1.2.1985 को ही प्रतिवादी ने 12,000/- की कोलेटरल सिक्यूरिटी के लिए एक प्रोमेसरी नोट 12,000/- रूपए का व एक रसीद भी वादी के हक में तहरीर व तकमील कर दी। इसी प्रकार 16.5.1985 को 30,000/- एवं 22,500/- रूपए नकद दिए गए और दोनों राशियों का चेक वादी के नाम के प्रतिवादी ने दस्तखत कर वादी को सुपुर्द किए और 16.5.1985 को इन्हीं धनराशियों की बतौर कोलेटरल सिक्यूरिटी के दो प्रोमेसरी नोट व रसीदें एक रूपये 30,000/- व एक 22,500/- रूपए का वादी के हक में प्रतिवादी ने तहरीर व तकमील किया और डेढ रूपया सैकड़ा प्रतिमाह से ब्याज अदा करने का भी लिखा। इस प्रकार इस प्रकरण में दावे का आधार चेक हैं न कि प्रोमेसरी नोट और वादी की साक्ष्य से चेक प्रदर्श 1, 6 व 11 प्रमाणित हुए हैं। इसी प्रकार रकम अदायगी की रसीदें भी प्रदर्श 3, 8 व 13 प्रमाणित हुई है। इस प्रकार प्रोमेसरी नोट बतौर कोलेटरल सिक्यूरिटी के लिए लिखा गया था, जिसे वादी के अनुसार साक्ष्य में ग्राह्य भी नहीं माना जावे तो भी मेरिट पर इसका विपरीत असर नहीं पड़ता। प्रदर्श 3 से 12,000/- की अदायगी की गई है जो 1.2.1985 का है और चेक उसी रोज वादी कन्हैयालाल के हक में प्रतिवादी चान्दमल ने जारी किया है और इसकी अदायगी 31.3.1985 को होनी थी, जो चेक में तारीख दर्ज है। इसी प्रकार अन्य चेक प्रदर्श 6 व 13 भी वादी की साक्ष्य से प्रमाणित हुए हैं, जिनकी अदायगी 30.6.1985 को 30,000/- रूपए की व 22,500/- की होनी थी।

उपरोक्त विवेचन से वादी का वाद अव्वल में चेक पर आधारित था न कि प्रोमेसरी नोट पर और प्रोमेसरी नोट बतौर कोलेटरल सिक्यूरिटी के लिए

लिखा जाना ही बताया गया थ। रसीदें, चेक और प्रोमेसरी नोट वादी की साक्ष्य से प्रमाणित भी हुए हैं। इस प्रकार यह तर्क मात्र तकनीकी एतराज है, जो अपीलाण्ट द्वारा उठाया गया है, जिसमें मैं कोई बल नहीं पाता।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का दूसरा तर्क यह रहा कि वाद मयाद में नहीं है क्योंकि उनका तर्क है कि 1.2.1985 को दी गई थी और दावा 16.2.1988 को पेश किया गया है। यह तारीख भी 12,000/- रूपए के चेक के सम्बन्ध में है। मगर योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट के इस तर्क से भी मैं सहमत नहीं हूं। इस प्रकरण में चेक पर दावा आधारित है, जो राशि 1.2.1985 को दी गई थी, जिसकी रसीद प्रदर्श 3 है। मगर चेक अदायगी की तारीख 31.3.1985 है। इससे यह स्पष्ट रूप से मयाद में दावा आता है। इस प्रकार प्रदर्श 1 से 3 पर आधारित दावा मयाद बाहर नहीं माना जा सकता। जहां तक अन्य रकम 30,000/- एवं 22,500/- का प्रश्न है, यह राशि 16.5.1985 की है और चेक अदायगी की तारीख 30.5.1985 है, उस सम्बन्ध में वाद मयाद में है, इसमें कोई भी विवाद नहीं रहता। इस प्रकार योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट के इस द्वितीय तर्क से मैं सहमत नहीं हूं।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का तीसरा तर्क यह रहा कि वादी साहूकार है और साहूकारी का लेनदेन का धन्धा करता है। इस सम्बन्ध में उन्होंने राजस्थान साहूकारी अधिनियम की धारा 2(15), 11, 26, 27 व 29 की ओर ध्यान आकर्षित किया और इस न्यायालय का विनिश्चय आर एल डब्ल्यू 1988 (1) पेज 615 (हरिनारायण तिवारी बनाम दामेदर बुसार) पर आए विनिश्चय पेश किया। उनका तर्क है कि वादी द्वारा राशि विभिन्न चेक्स और प्रोमेसरी नोट के जरिए दी गई है और वादी ने अपने बयानो में यह भी

स्वीकार किया है कि कान्तिलाल के नाम से पहले भी दावे किए हैं। इससे स्पष्ट है कि वह रूपयो की उधारी के लेनदेन का धन्धा करता है। इस प्रकार वह साहुकार नहीं है और उसे लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं थी, यह भार वादी पर है। इस प्रकरण में कोई भी लाईसेन्स पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विनिश्चय को देखते हुए, उनका तर्क रहा कि बिना लाईसेन्स के वादी साहुकारी का धन्धा कर रहा था, अत: वादी को वाद लाने का अधिकार नहीं है।

इसके विपरीत योग्य अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट का तर्क रहा कि साहुकारी के सम्बन्ध में कोई भी एतराज जवाबदावे में नहीं लिया गया था, न अधीनस्थ न्यायालय में इसकी तनकी बनाई गई। इस प्रकार अपील स्टेज पर यह एतराज लेने का अधिकार अपीलाण्ट को नहीं है। उनका यह भी तर्क रहा कि इस न्यायालय में जवाबदावे में संशोधन के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत् आदेश 6 नियम 17 के तहत दिनांक 4.7.1996 को पेश किया गया था और राजस्थान साहुकारी अधिनियम के तहत एतराजात लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना की थी, जिस पर इस न्यायालय ने विस्तृत रूप से सुनकर दिनांक 25.9.1996 को प्रतिवादी का प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया। इस प्रकार अब प्रतिवादी को यह एतराज उठाने का अधिकार नहीं है। योग्य अभिभाषक रेस्पोंडेण्ट ने इस न्यायालय के आदेश दिनांक 25.9.1996 की ओर ध्यान आकर्षित किया। योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का जवाब में तर्क रहा कि यह कानूनी एतराज है, जो किसी भी समय उठाया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा विचार किया गया। यह सही है कि

राजस्थान साहुकारी अधिनियम का एतराज कुछ अंशों तक कानूनी एतराज है, मगर मेरी विनम्र राय में यह मात्र कानूनी प्रश्न नहीं है बल्कि यह कानूनी और तथ्यों का एक मिश्रित प्रश्न है। इस सम्बन्ध में प्रतिवादी को स्पष्ट रूप से यह एतराज अपने जवाब में लिया जाना था कि वादी साहुकार है और साहुकारी का धन्धा करता है। राजस्थान साहुकारी अधिनियम में धारा 2(10) के तहत जो साहुकार की परिभाषा दी गई है उससे स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति यदि साहुकारी लेनदेन का व्यापार करता है और धन्धा करता है और उसका निश्चित स्थान इस सम्बन्ध में राजस्थान में है तो ऐसे व्यक्ति को साहुकार कहा गया है। वादी के बयानो में मात्र यह स्वीकारोक्ति कि कान्तिलाल के नाम से उसने 1-2 दावे और कर रखे हैं। इस प्रकरण में प्रतिवादी को दो-तीन चेक्स के जरिए या प्रोमेसरी नोट के जरिए रकम दी थी, इससे यह नहीं माना जा सकता कि वादी साहुकार हो और साहुकारी का धन्धा करता हो। साहुकारी के धन्धे के लिए एक निरन्तरता आवश्यक है, जो इस प्रकरण में तथ्यों की प्लीडिंग्स में नहीं होने और साक्ष्य नहीं होने से मात्र वादी के बयानो के आधार पर यह प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि वादी साहुकारी का धन्धा करता हो। प्रतिवादी की कोई साक्ष्य भी रेकर्ड पर पेश नहीं की गई है। इस प्रकार योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट का यह तर्क कि वादी साहुकार है और साहुकारी का धन्धा करता है और उसके पास साहुकारी का लाईसेन्स नहीं था, मगर यह एतराज अपीलाण्ट नहीं उठा सकता क्योंकि उसके द्वारा जवाबदावे में कोई भी एतराज इस प्रकार का नहीं लिया गया न अभिवचनों में कोई आधार ही रखे हैं। इस प्रकार इस न्यायालय में जवाबदावे में जो संशोधन चाहा था उसे इस न्यायालय ने

विस्तृत आदेश से दिनांक 25.9.1996 को खारिज कर दिया है। रेकर्ड पर साक्ष्य से यह कतई प्रमाणित नहीं है कि वादी साहुकार हो और साहुकारी का धन्धा करता हो। मात्र एक-दो अवसर पर या कुछ अवसर पर रूपए उधार देना साहुकार की तारीफ में नहीं आता, जैसाकि मैंने ऊपर कहा है कि साहुकारी के धन्धे में निरन्तरता की आवश्यकता होती है। अत: योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट के तीसरे तर्क से भी मैं सहमत नहीं।

इसके अलावा अन्य कोई एतराज नहीं उठाए गए हैं। मेरे द्वारा वादी की साक्ष्य व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया। वादी पी.ङ 1 कन्हैयालाल ने अपने बयानो में कहा है कि चान्दमल को मित्र होने से 12,000/- अव्वल में उधार दिए थे और पेमेन्ट हेतु चांदमल ने 31.3.1985 को राजस्थान बैंक का चेक भी दिया था जो प्रदर्श-1 है। कोलेटरल सिक्यूरिटी में प्रोमेसरी नोट (प्रदर्श 2) व रसीद (प्रदर्श 3) भी लिखाई गई थी। चैक को बैंक में लगाया गया था, जिसकी स्लिप प्रदर्श 4 है, मगर चेक सिकरा नहीं क्योंकि राशि बैंक में नहीं थी। जो उत्तर प्राप्त हुआ वह प्रदर्श 5 है। इसी प्रकार चान्दमल को 30,000/- रूपए और दिए और एक चेक 30.6.1985 का उसने दिया था। इस पर ए से बी दस्तखत चान्दमल के हैं और इसकी कोलेटरल सिक्यूरिटी बाबत एक प्रोमेसरी नोट लिखाया था जो कि प्रदर्श 7 है,जिसे भी इस गवाह ने अपने बयानो में प्रमाणित किया है और रसीद प्रदर्श 8 भी प्रमाणित की है। यह चेक भी केन्द्रीय सहकारी बैंक, शाखा प्रतापगढ़ में जहां खाता है, कलेक्शन हेतु दिया था जिसकी स्लिप प्रदर्श 9 है। यह चेक भी अनादरित होकर प्राप्त हुआ है, जिसकी बैंक की स्लिप प्रदर्श 10 है। चान्दमल को 22,500/- उधार दिए थे,

जिसके पेमेण्ट के लिए 30.6.1985 का चेक राजस्थान बैंक का चान्दमल ने दिया था। यह चेक प्रदर्श 11 है, जिस पर ए से बी दस्तखत चान्दमल के हैं। इन रूपयों की कोलेटरल सिक्यूरिटी में प्रोमेसरी नोट लिखवाया था जो प्रदर्श 12 है और इसकी रसीद प्रदर्श 13 है। इन दस्तावेजात को भी गवाह ने प्रमाणित किया है और बैंक में चेक लगाया गया, जो अनादरित होकर प्राप्त हुआ, जिसके दस्तावेज भी उसने प्रमाणित किए हैं। प्रतिवादी को नोटिस भी दिए जो प्रदर्श 18 से 20 है। डेढ रूपया सैंकड़ा प्रतिमाह ब्याज का करार हुआ था, जो दस्तावेज में दर्ज है। इस गवाह से जिरह हुई, मगर जिरह में कोई भी बात ऐसी नहीं निकाली जा सकी जिससे इसके बयान को अविश्वसनीय माना जा सके। प्रतिवादी की इसके विपरीत कोई साक्ष्य नहीं आई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नम्बर 1 से लगायत 6 वादी के पक्ष में तय की है और वाद मयाद में भी माना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य का पूर्ण मूल्यांकन करके निर्णय पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप के मैं कोई आधार नहीं पाता।

फलस्वरूप, अपील अपीलाण्ट में कोई बल नहीं होने से, यह अपील खारिज की जाती है।

उपरोक्तानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(न यायाधिपति कृष णकुमार आचार्य)

जी.एन.शर्मा